कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी, (स्थित कांगणी), जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन विधेयक 2006 की धारा 48(2) के दृष्टिगत, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, स्थित कांगणी, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण इस विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया है।

(ख) अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज विपणन समिति में अध्यक्ष एवं सचिव के पद पर कार्यरत रहे :—

क्र0 सं0	नाम	पद	अवधि
1)	श्री देवेश कुमार, उपायुक्त मण्डी	अध्यक्ष	01.04.13 से 28.07.13
2)	श्री हरिन्द्र सेन	अध्यक्ष	29.07.13 से 31.03.14
3)	श्री नेत्र सिंह	सचिव	01.04.13 से 31.03.14

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है

क्र0 सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में
1)	मण्डी समिति की आय से सम्बन्धित राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	4(घ) नोट—(1)	0.93
2)	विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गई अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	7	1.70
3)	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	8	30.83
4)	दुकानों के लम्बित किराए के रूप में राशि वसूली हेतु शेष	9	20.35
5)	मण्डी समिति द्वारा दुकानों के किराए की विलम्ब से वसूली	10	विवरण पैरे में दिया गया

	करने पर भी दण्ड शुल्क की वसूली न करना	है	
6)	विभिन्न फर्मों द्वारा वाणिज्य वस्तुओं के क्रय–विक्रय पर 1 प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क की राशि के समय पर जमा न करवाने पर भी समिति द्वारा दण्ड शुल्क के रूप में की गई कम वसूली	12	43.27
7)	कृषि उपज विपणन समिति के कांगणी व चैलचौक यार्ड में धर्मकांटे स्थापित करने पर राशि का अनुपयोगी व्यय	17	11.32
8)	मुख्य मण्डी कांगणी में नवनिर्मित विश्राम गृह के लिए फर्नीचर खरीदने से सम्बन्धित अनियमितताएं	18	1.76
9)	कृषि उपज मण्डी समिति के धनोटू यार्ड में गेट लगवाने की स्ववीकृति न लेने बारे	20	0.45

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी), जिला मण्डी के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों का विवरण **परिशिष्ट–''क''** पर दिया गया है, जिस के अनुसार अवधि 3/2014 तक 66 पैरे अनिर्णीत शेष थे। अतः अनिर्णीत पैरों के समायोजन हेतु यथाशीघ्र उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(ड़) आय व व्यय के मुख्य साधन

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी), जिला मण्डी के आय के मुख्य साधन/स्त्रोत व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में वसूलियां, दण्ड शुल्क, पंजीकरण शुल्क, विभिन्न फार्मों की बिक्री से आय, दुकानों का किराया तथा जमा राशियों पर अर्जित ब्याज इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त मण्डी समिति द्वारा स्थापना, निर्माण कार्यों, गाडी के रख–रखाव, लेखन सामग्री के मुद्रण, मानदेय, यात्रा भत्ता व कार्यालय व्यय इत्यादि मुख्य मदों पर व्यय किया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी) के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री रामलाल, अनुभाग अधिकारी, श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री विजय कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा किया गया।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को समिति के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलबध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त

संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी) के वर्ष 2013–14 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹13,48,995/– आंका गया है, जिसे समिति द्वारा आई0डी0बी0आई0 बैंक मण्डी के चैक संख्याः 016787, दिनांक 16.01.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी) की वर्ष 2013–14 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट–''ख''** पर भी दिया गया है।

प्रारम्भिक शेष	1,74,73,392.79
वर्ष में प्राप्त आय	4,31,42,110.65
वर्ष में प्राप्त ब्याज	8,61,538.00
कुल योग	**6,14,77,041.44**
वर्ष में भुगतान की गई राशि	2,66,64,579.79
शुद्ध जमा राशि	**3,48,12,461.65**

(ख) बैंक बचत खातों के अनुसार दिनांक 31.3.14 को अन्तिम शेष की राशि का विवरण

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक सरकाघाट	6623	6,03,337.00
2)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक अवहा देवी	103	3,19,201.00
3)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक चौन्तडा	4123	20,39,592.00
4)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक नगवाई	2805	15,35,636.65
5)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक वलदवाडा	4770	4,29,061.00
6)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक चैल चौक	1129	11,72,108.00
7)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक मण्डी	5182	12,79,886.47
8)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक सुन्दरगनर	7290	71,759.86

9)	हिमाचल प्रदेश को0 ऑपरेटिव बैंक धनोटू	104	58,98,575.00
10)	स्टेट बैंक पटियाला तत्तापानी	163571	11,87,012.07
11)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक मण्डी	28764	बन्द
12)	आई0डी0बी0आई0 बैंक मण्डी	2248	70,55,671.60
13)	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक मण्डी	5868	बन्द
14)	एच0डी0एफ0सी0 बैंक मण्डी	38589	30,40,110.00
15)	हि0प्र0रा0 को–ऑपरेटिव बैंक धनोटू (एफ0डी0आर)		50,00,000.00
16)	हि0प्र0रा0 को–ऑपरेटिव बैंक टकोली (एफ0डी0आर)		50,00,000.00
		कुल योग	**₹3,46,31,950 65**

(ग) बैंक समाधान विवरणिका

रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तशेष	3,48,12,461.65
बचत खातों व सावधि जमा योजना में जमा राशि	3,46,31,950.65
अन्तर	1,80,511.00

(घ) अन्तर के कारण

निम्नलिखित विवरणानुसार रोकड बही में आय की प्रविष्टियां दर्ज की गई थी परन्तु आय की यह राशियां बैंक में जमा नहीं हुई थी

क्र0 सं0	**बैंक का नाम**	**चैक सं0**	**दिनांक**	राशि
1	हि0प्र0रा0को0बैंक चैलचोक	382748	31.12.12	92,940
2	हि0प्र0रा0को0बैंक चैलचोक	41640	31.03.14	27,288
3	हि0प्र0रा0को0बैंक धनोटू	284363	28.03.14	11,000
4	आई0डी0बी0 आई0 बैंक मण्डी	140861	31.03.14	6,000
5	आई0डी0बी0 आई0 बैंक मण्डी	140860	31.03.14	3,500
6	आई0डी0बी0 आई0 बैंक मण्डी	737752	31.03.14	19,051
7	आई0डी0बी0 आई0 बैंक मण्डी	343394	31.03.14	15,015
8	आई0डी0बी0 आई0 बैंक मण्डी	961000	31.03.14	15,015
9	आई0डी0बी0 आई0 बैंक मण्डी	721177	31.03.14	5,006
			योग	**(+)1,94,815**
	हिमाचल प्रदेश राज्य विजली बोर्ड को किया गया भुगतान, जोकि हिमाचल	5170082	26.03.14	(+)14,303

प्रदेश राज्य सहकारी बैंक चैल चौक द्वारा नहीं किया गया		
अवधि 2012—13 के दौरान आई0डी0बी0आई0 बैंक में अधिक जमा		(—)1
	शुद्ध अन्तर	**₹1,80,511**

नोट—(1) :— उक्त वर्णित बैंक समाधान विवरणीका के अनुसार चैक संख्याः 382748, दिनांक 31.12.202 द्वारा बैंक में जमा दर्शाई गई राशि ₹92,940/— जो कि वर्ष 2012—13 से सम्बन्धित थी तथा जो वास्तव में बैंक में जमा नहीं हुई थी, की वसूली हेतु कृषि उपज विपणन समिति द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यह एक गम्भीर अनियमितता के प्रकरण को उजागर करती है। अतः उक्त समाधान विवरणीका में दर्शाई गई इस राशि के अतिरिक्त अन्य समस्त राशियों की वसूली बारे कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

नोट—(2) :— कृषि उपज विपणन समिति से अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 964, दिनांक 7.8.2014 व अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1124, दिनांक 25.5.2015 द्वारा मण्डी समिति की वर्ष 2013—14 की वित्तीय स्थिति व बैंक समाधान विवरणी को बैंक खाता विवरणी तथा अन्तशेष के प्रमाण पत्र सहित अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक माह 2/14 माह 3/14 की बैंक खाता विवरणी, अन्तशेष प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, परिणामस्वरूप 31.3.2014 को अन्तशेष का रोकड़ बही से सत्यापन नही किया जा सका। अतः सभी बचत खातों की विवरणी व अन्तशेष प्रमाण सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

(ड़) निवेश कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, स्थित कांगणी के लेखों के अनुसार अवधि 01.04.13 से 31.03.14 के दौरान निवेशित राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र0 सं0	एफ0डी0आर0 सं0 बैंक का नाम	निवेश तिथि	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि
1	409619, दि0 08.10.13 हि0प्र0 रा0 सहकारी बैंक धनोटू	08.10.13	50,00,000	12 माह	9%	09.10.14	54,65,417
2	1191016, दि0 18.12.13 हि0प्र0रा0 सहकारी बैंक टकोली	18.12.13	50,00,000	12 माह	9%	18.12.14	54,65,417

(च) तुलन पत्र :— कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थिति कांगणी) का दिनांक 31.03.2014 तक का तुलन पत्र, जोकि चार्टर्ड अकाऊंटैंट द्वारा तैयार किया गया है, **परिशिष्ट—''ख''** में संलग्न है।

तुलन पत्र के मण्डी समिति का अंकेक्षण अवधि का ''Receipts & Payment Account'' संलग्न नहीं किया गया है अपितु ''Income & Expenditure Account'' संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त तुलन पत्र में वर्णित आंकड़ों में बैंक में दर्शाए गए अन्तशेष की सिक्योरिटी की राशि, विपणन बोर्ड को भेजी गई राशि तथा आय तथा व्यय की अन्य विभिन्न मदें मण्डी समिति के आय एवं व्यय के आंकड़ों से मेल नहीं खाते है। अतः चार्टर्ड अकाऊंटैंट द्वारा तैयार किए गए तुलन पत्र के आंकड़ों तथा मण्डी समिति के आय तथा व्यय के आंकड़ों में अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुए इनका मिलान किया जाए।

5 बचत खातों में आवश्यकता से अधिक राशि जमा रखने बारे :—

मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.14 को विभिन्न बैंक बचत खातों में ₹2,46,31,950/— जमा थी **(परिशिष्ट—''ग'')**। बचत खातों में ब्याज की दर सावधि निवेश पर प्राप्त होने वाले ब्याज दर की तुलना में बहुत ही कम होती है, जिस कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय की निरन्तर हानि को रही है। अतः समिति स्तर पर आवश्यक जाँच करने के उपरान्त तथा नियमित भुगतानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त राशि में से एक समुचित आय सावधि निवेश सुनिश्चित किया जाए ताकि मण्डी समिति को ब्याज के रूप में हो रही हानि से बचाया जा सके।

6 गत वर्षों की तुलना में मण्डी समिति की आय में कमी पाया जाना

कृषि उपज विपणन समिति मण्डी की वर्ष 2013—14 की आय विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित शीर्षों में गत वर्षों की तुलना में आय में गिरावट आई है जबकि कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं के मूल्य में तथा लाईसैन्स धारियों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप इन शीर्षों में आय में वृद्धि दर्ज की जानी वांछित थी। अतः इस मामले की संस्था स्तर पर जाँच कर के मण्डी समिति की आय में वृद्धि हेतु उचित कदम उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं तथा इस प्रकार के प्रकरणों की माह वार समीक्षा करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियो/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	चैक पोस्ट यार्ड का नाम/शीर्ष का नाम	गत तीन वर्षों में आय के आंकडे		
		2011—12	2012—13	2013—14

1	चैक पोस्ट से प्राप्त आय Timber/Wood/ Forest produce	3,32,157	1,12,122	1,52,566
2	Milk and Milk Product	2,42,076	51,040	34,584
3	Wood	4,213	7,298	2,912
4	Meat & Animal Husbandry Product	3,26,076	1,53,674	2,00,752
5	मार्केट यार्ड से प्राप्त आय (Food Grain)	1,04,62,928	1,32,57,109	1,16,81,123
6	Milk & Milk Product	14,20,038	18,83,727	15,55,585

7. विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु जारी की गई अग्रिम ₹1,70,000/– का समायोजन नहीं करना

कृषि उपज विपणन समिति द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम राशियां जारी की गई थी, जिन मे से दिनांक 31.03.14 को निम्न विवरणानुसार ₹1,70,000/– का समायोजन नही किया गया। अतः इन अग्रिमों के समायोजन लेखे अंकेक्षण मे जाँच हेतु शीघ्र प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र0सं0	अग्रिम प्राप्तकर्त्ता	वा0सं0, दिनांक	अग्रिम का उद्देश्य	राशि
1	श्री जिया लाल, लिपिक	126/09.09.08	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2,000
2	श्री चोहान सिंह, चपडासी	201/10.12.08	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2,000
3	श्री राम, लिपिक	259/11.02.09	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2,000
4	श्री राम, लिपिक	4/25.04.09	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2,000
5	श्री राम, लिपिक	47/25.06.09	शासकीय टिकटों की खरीद हेतु	2,000
6	श्री हरमेश सिह, ड्राईवर	22/11.04.12	पैट्रोल व गाडी मुरम्मत	20,000
7	श्री तेज राम कश्यप	367/06.02.13	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	30,000
8	श्री गुरनाम सिंह	375/16.02.13	किसानों के प्रशिक्षण हेतु	20,000
9	श्री राजेश जोशी	349/22.11.13	शासकीय टिकटों की खरीद	2,000
10	श्री गुरनाम सिह	545/29.03.14	गारवेज कन्टेनर खरीद हेतु	88,000
			कुल योग	**₹1,70,000**

8 निर्माण कार्य से सम्बन्धित ₹30,83,401/– के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नही करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी) द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पास डिपोजिट वर्क के रूप में

निम्न विवरणानुसार ₹30,83,401/– जमा करवाई गई थी, जिससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए :–

वा0 सं0	दिनांक		कार्य का नाम		राशि
18	9.4.13	1.	Repair of Stair 1/F Shop No. 1 to 7	66,199	
		2.	Removal of Slip	1,11,220	
		3.	C/o Collection centre Leda	1,76,100	3,53,519
376	2.12.13	1.	P/F interlock chain fencing	1,99,442	
		2.	C/o Wall from RD 0/0 92 to 0/137	9,04,007	
		3.	P/F inter Lock Chain Karsog	8,53,681	19,57,130
499	5.3.14	1.	P/F 2 No. in and out Gate		45,500
528	22.3.14	1.	C/o ATM Booth, Strong Room H.P.S.B Bank Dhanotu		7,27,252
				कुल योग	**₹30,83,401**

अतः निर्माण कार्य हेतु विपणन बोर्ड के पास उपरोक्त जमा करवाई राशियों तथा पूर्व में जमा करवाई गई राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीघ्र प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

9. दुकानों के लम्बित किराए के रूप में वसूली योग्य ₹20,35,527/– का शेष पाया जाना

मण्डी समिति के विभिन्न यार्डों के किराए के मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.14 तक निम्नविवरणानुसार दुकानदारों से किराये के रूप में ₹20,35,527/– वसूली हेतु शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''घ''** पर भी दिया गया है। इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु लम्बित रहना स्वतः ही चिन्ताजनक है जिससे निश्चित तौर पर मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति पर तो प्रतिकूल असर पड़ा ही है तथा साथ में मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित रहने के कारण आवश्यक रूप से हानि उठानी पड रही हैं। अतः किराए की लम्बित बकाया राशियों की विहित अनुदेशों/शर्तों के अनुसार तुरन्त वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	यार्ड का नाम	लम्बित राशि
1)	कांगणी यार्ड	6,22,387

2)	धनोटू यार्ड	6,92,740
3)	जोगिन्द्रनगर यार्ड	1,24,250
4)	टकोली यार्ड	4,76,100
5)	चैल चौंक यार्ड	1,20,050
	कुल योग	**₹20,35,527**

10 मण्डी समिति द्वारा दुकानों के किराए की विलम्ब से वसूली करने पर भी दण्ड शुल्क की वसूली न करना

मण्डी समिति की विभिन्न दुकानों, गोदामों व कार्यालय के किराए के रूप में प्राप्त आय की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा दुकानों, गोदामों व कार्यालय इत्यादि का किराया न तो इकरारनामों की शर्तों अनुसार प्राप्त किया जा रहा है और न ही आबंटन निति के अनुसार किराये को निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किया जा रहा है, फलस्वरूप समिति को अनावश्यक रूप से ब्याज की निरन्तर हानि हो रही हैं। ऐसे प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट–''ड़''** में दिया गया है। अतः किराए की वसूली निर्धारित अवधि के दौरान ही करनी सुनिश्चित की जाए तथा व्यापारियों द्वारा समय पर किराया न चुकाने की स्थिति में आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार किराये की वसूली दण्ड प्रभार सहित करनी सुनिश्चित की जाए।

11 कृषि उपज मण्डी समिति के विभिन्न यार्डों की दुकानों की किराए में बढ़ौतरी सम्बन्धित अभिलेख तथा नई दुकानों के आबंटन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

कृषि उपज मण्डी समिति के विभिन्न यार्डों में आबंटित दुकानों के किराए में बढ़ौतरी से सम्बन्धित अभिलेख तथा नई दुकानों के आबंटन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने व सत्यापन करवाने के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 856, दिनांक 03.02.14 तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1108, दिनांक 27.04.15 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति को अनुरोध किया गया जिस पर उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः यह मामला प्रबन्ध निदेशक के ध्यानार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से इस आशय से लाया जाता है की इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करवाने हेतु सचिव कृषि उपज विपणन समिति को दिशा निर्देश जारी किए जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विभिन्न फर्मों द्वारा वाणिज्य वस्तुओं के क्रय–विक्रय पर 1% की दर से मण्डी शुल्क की राशि को समय पर जमा न करवाने पर भी समिति द्वारा दण्ड शुल्क के रूप में ₹43,27,504 की कम वसूली करने बारे

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन अधिनियम 2005 की धारा 45(2) के अनुसार वाणिज्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय पर एक प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क 14 दिन के

अन्दर समिति के कार्यालय में जमा करवाना अपेक्षित होता है। अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा ऐसी प्रक्रिया न करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 45(3) के अनुसार कमेटी को दण्ड शुल्क का पांच गुणा तक वसूलने का अधिकार है, परन्तु समिति द्वारा **परिशिष्ट–''च''** पर उपलब्ध करवाए गए विवरण के अनुसार अनुज्ञपप्तिधारियों द्वारा लम्बे समय तक भी मण्डी शुल्क जमा न करने पर भी समिति द्वारा दण्ड शुल्क की नियमानुसार वसूली न करके ₹43,27,504 की कम वसूली की गई जिस के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर भी अपेक्षित जाँच/असैस्मैंट करके अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 व्यापारियों द्वारा लाईसैन्स नवीनीकरण न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित व्यापारियों/दुकानदारों द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान न तो लाईसैन्सों का नवीनीकरण करवाया गया और न ही मार्केट फीस का भुगतान किया था, जबकि गत वर्षों में भी इन फर्मों द्वारा लाईसैन्स बनवाए गए थे। ऐसे मामलों में छानबीन करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 888, दिनांक 22.03.14 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति से मामला उठाया गया था, जिस पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक छानबीन करने के उपरान्त वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	फर्म का नाम	
1)	मैं0 फ्रैश मीट शॉप	कनैड
2)	मैं0 रोशन मीट शॉप	धनोटू
3)	मैं0 यमन मीट शॉप	धनोटू
4)	मैं0 मुनि लाल मीट शॉप	धनोटू
5)	मैं0 चन्द्र बॉस मीट शॉप	कलौनी, सुन्दरनगर
6)	मैं0 लुहारा राम मीट शॉप	सुन्दरनगर
7)	गुलजार मुहम्मद हलाल मीट शॉप	सुन्दरनगर
8)	मुहम्मद शकील हलाल मीट शॉप	सुन्दरनगर
9)	प्रवेज हलाल मीट शॉप	सुन्दरनगर
10)	राजकुमार मीट शॉप	कनैड
11)	पप्पू मीट शॉप	मौर
12)	नायक मीट शॉप	मौर
13)	पुन्नू मीट शॉप	चैल चौक

14)	बबलू नायक मीट शॉप	चैल चौक
15)	नवीन मीट शॉप	चैल चौक

14 लाईसैन्स धारियों व्यापारियों द्वारा फार्म ''ओ'' के साथ फार्म ''आर'' व फार्म ''क्यू'' प्रस्तुत नहीं करना

विपणन विधेयक अधिनियम 2005 व नियम 2006 की धारा 30(17) की अनुपालना में सभी कमीशन अभिकर्त्ता द्वारा रिर्टन से सम्बन्धित फार्म ''ओ'' के साथ फार्म ''आर'' तथा फार्म ''क्यू'' जमा करवाने अनिवार्य होते है। मण्डी समिति के व्यापारियों द्वारा कई मामलों में फार्म ''आर'' व फार्म ''क्यू'' संलग्न नहीं किए जा रहे हैं। अतः सभी मामलों में फार्म ''आर'' व फार्म ''क्यू'' को भरा जाना सुनिश्चित करवाया जाए ताकि व्यापारियों द्वारा किए गए क्रय–विक्रय की मात्रा व राशि इत्यादि का सत्यापन सम्भव हो सके।

15. लाईसैन्सधारी व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क से सम्बन्धित रिर्टन प्रस्तुत नहीं करना

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न यार्डों के व्यापारियों के मण्डी शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट–''छ''** में दर्शाई गई फर्मों द्वारा मण्डी शुल्क की रिर्टन अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नही की गई जिन्हें यथा शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 नाका चौकी पुंध, चैल चौक व तत्तापानी की आयात/निर्यात पंजिकाओं में वस्तु की मात्रा व मूल्य को सही ढंग से नहीं दर्शाना

कृषि उपज मण्डी समिति की विभिन्न नाका चोकियों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नाका चौकी पुंध, चैलचौक व तत्तापानी की नाका चोकियों में तैनात कर्मचारियों द्वारा आयात/निर्यात पंजिकाओं में वस्तु की मात्रा व मूल्य आंशिक रूप से या फिर नग के आधार पर अंकित किया गया था, जिस से यह पता नहीं चल सका कि व्यापारियों से कितने प्रतिशत मण्डी शुल्क/कम्पाऊंड शुल्क वसूला गया है। इस प्रकार की त्रुटि को सुधारने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 769, दिनांक 09.09.13 द्वारा भी अनुरोध किया गया था, परन्तु मण्डी समिति द्वारा इस सन्दर्भ मे कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः सभी मामलों में वस्तु का नाम, मात्रा व मूल्य भरा जाना सुनिचित किया जाए।

17 कृषि उपज विपणन समिति के कांगणी व चैलचौक यार्ड में धर्मकांटे (Weight Bridge) स्थापित करने पर ₹11,32,072 का अनुपयोगी व्यय करना

कृषि उपज विपणन समिति के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि समिति के कांगणी यार्ड व चैलचौक यार्ड में वर्ष 2010 के दौरान धर्मकांटे स्थापित किए गए थे। इन धर्मकांटों की स्थापना हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया था :–

यार्ड का नाम	**दिनांक**	**कुल राशि**
चैलचौक	18.5.2010	4,49,879
कांगणी	5.3.2010	1,88,795
	7.5.2010	4,61,827
	25.6.2010	31,571
	कुल योग	**₹11,32,072**

इस सन्दर्भ में अभिलेख की छानबीन करने पर पाया गया कि इन धर्मकांटों की स्थापना के उपरान्त इनको प्रयोग मे नहीं लाया गया था, परिणामस्वरूप समिति को प्राप्त योग्य आय की भारी हानि होने तथा फल व सब्जी के क्रय–विक्रय के सही नाप तोल न होने के कारण मार्केट फीस की सम्भावित हानि भी हुई है। उक्त धर्मकांटों के रख–रखाव व उनसे अर्जित आय की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सचिव, मण्डी समिति कार्यालय को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1109 दिनांक 27.04.15 द्वारा अनुरोध किया गया, परन्तु मण्डी समिति द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः इन धर्मकांटों का उचित रख–रखाव व नाप–तोल की प्रभावी व्यवस्था रखने के लिए यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों व प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड शिमला–171002 के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

18 मुख्य मण्डी कांगणी में नवनिर्मित विश्राम गृह के लिए ₹1,76,536 का फर्नीचर खरीदने से सम्बन्धित अनियमितताएं

मुख्य मण्डी कांगणी में नवनिर्मित विश्राम गृह के लिए फर्नीचर खरीदने हेतु ₹1,78,087/– की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पत्र संख्याः एच0एम0बी0(जी)2–12–2013 –5756, दिनांक 21.08.2013 द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि फर्नीचर को हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम बिलासपुर से खरीदा जाए। अंकेक्षण के दौरान वाऊचर संख्याः 444, दिनांक 31.01.2014 की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्नीचर को हिमाचल प्रदेश सामान्य औद्योगिक निगम की बिलासपुर शाखा से न खरीद करके लोकल मार्केट से भी न्यूनतम निविदा के आधार पर मै0 बन्धु इस्पात मण्डी से ₹1,76,536/– मे खरीदा गया। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर नस्ति टिप्पणी संख्याः 51 पर अवगत करवाया गया कि उक्त खरीद को लोकल मार्केट से करने के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी से दूरभाष द्वारा सहमति ले ली गई थी। इस सन्दर्भ में फर्नीचर को लोकल मार्केट से खरीदने व सक्षम अधिकारी की लिखित व मार्केट से खरीदने व सक्षम अधिकारी

की लिखित व लेने बारे सचिव, कृषि उपज विपणन समिति के समक्ष मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 857, दिनांक 10.02.2014 द्वारा उठाया गया, जिस पर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः फर्नीचर की खरीद को लोकल मार्केट से खरीदने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा टिप्पणी संख्याः 51 के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर फर्नीचर की खरीद को नियमित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 मार्केट यार्ड धनोटू व मार्केट यार्ड चैलचौक में बिजली की अत्याधिक खपत का होना

कृषि उपज विपणन समिति के वाऊचरों/बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि मार्केट यार्ड धनोटू व मार्केट यार्ड चैलचौक में अवधि 8.12.2013 से 22.2.2014 व अवधि 21.11.2013 से 24.03.2014 के दौरान क्रमशः ₹12,643/– व ₹14,303 की बिजली की खपत की गई, जोकि गत मासों मे की गई बिजली की खपत की तुलना में अत्याधिक थी। उक्त मामले को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 891, दिनांक 25.03.14 तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 892, दिनांक 25.03.14 द्वारा सचिव, कृषि उपज समिति मण्डी के समक्ष उठाया गया, जिस बारे में समिति स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः यह प्रकरण समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में उचित छानबीन की जाए तथा वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20 कृषि उपज मण्डी समिति के धनोटू यार्ड में ₹45,500 के दो गेट लगवाने की स्वीकृति न लेने बारे

कृषि उपज विपणन समिति के वाऊचर संख्याः 499/2013–14 ₹45,500/– की जाँच करने पर पाया गया कि कृषि उप–मण्डी धनोटू में दो गेट लगवाए गए, जिनका भुगतान मैं0 सन शाईन ट्रेडर मण्डी को उनके बिल संख्याः 61, दिनांक 20.02.14, बिल संख्याः 63, दिनांक 24.02.14 तथा बिल संख्याः 88, दिनांक 25.02.14 द्वारा क्रमशः ₹12,750/–, ₹12,750/– तथा ₹20,000/– का किया गया। उक्त कार्य को करवाने की वित्तीय स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विवरण बोर्ड शिमला से ली जानी अपेक्षित थी तथा कार्य को कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका अभिलेख में दर्ज करके सत्यापित किया जाना था जोकि नहीं किया गया। इस मामले को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 874, दिनांक 07.03.14 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के समक्ष उचित कार्रवाई हेतु उठाया गया, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए उचित कार्रवाई की जाए एवं कार्य की सक्षम अधिकारी से

कार्योत्तर स्वीकृति लेकर भुगतान को नियमित किया जाए तथा कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा भी माप पुस्तिका अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

21 रिवोलविंग कुर्सी (Chair) खरीदने हेतु ₹11,944 की कार्योत्तर स्वीकृति न लेने बारे

अंकेक्षण के दौरान बिल संख्याः 206, दिनांक 17.08.2013 की जाँच करने पर पाया गया कि समिति कार्यालय के लिए निविदा के आधार पर मैं0 अशोका फर्नीचर इण्डस्ट्रीज मण्डी से ₹11,944/– की एक रिवोल्विंग कुर्सी खरीदी गई। उक्त खरीद के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेने के मामले को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 764, दिनांक 30.08.2013 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति के समक्ष उठाया गया, जिस बारे में उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त खरीद को नियमित करने हेतु सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बिलों में की गई ₹33,839 की कटौती के बारे में

मण्डी समिति मण्डी द्वारा अवधि 2013–14 के दौरान अंकेक्षण में प्रस्तुत बिलों में से पूर्व अंकेक्षण के दौरान ₹33,839/– की कटौतियां की गई। अंकेक्षण दौरान उपरोक्त दर्शाई गई कटौतियों के अतिरिक्त विभिन्न बिलों को पारित करने से पूर्व उन में पाई गई अनियमितताओं के बारे में भी सचिव, कृषि उपज समिति महोदय को अवगत करवाकर आवश्यक सुधार करने के लिए कहा गया, जिस से संस्था के लाखों रुपये के अपव्यय को रोक कर मण्डी समिति को होने वाली वित्तीय हानि को रोका गया है। इस के अतिरिक्त अंकेक्षण द्वारा विभिन्न वित्तीय मामलों में समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर सही दिशा निर्देश/मार्गदर्शन दिया गया है।

23 **लघु आपत्ति विवरणीका** :– यह अलग से जारी नहीं की गई।

24 **निष्कर्ष** :– लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों के समायोजन हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)124 / 88—खण्ड—7—5772—75 दिनांकः20.09.14 शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, (स्थित कांगणी), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, विपणन बोर्ड, विपणन भवन, खलीनी, शिमला—171002
3. विशेष सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002
4. अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज विपणन समिति मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

हस्ता / —
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट–''क''

(पैरा 1(V) के सन्दर्भ में)

कृषि उपज विपणन समिति, मण्डी, (स्थित कांगणी) के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पैरों/आपत्तियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में वसूलियां न करना, बिना लाईसैन्सधारकों से कम्पाऊंड शुल्क की वसूली न करना, दुकानों के किरायों की बकाया राशि की वसूली न करना व अन्य अनेक आपत्तियां उजागर की गई हैं। इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल गम्भीर अनियमितताओं तथा वसूलियों के प्रकरणों में तुरन्त उचित कार्रवाई किए जाने की नितांत आवश्यकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि वित्तीय अनियमितताओं एवं वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के अतिरिक्त अन्य पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढ़ंग से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1993 से 3/1999

1	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा 6	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत
3	पैरा 16	अनिर्णीत
4	पैरा 17(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 19(11)(15)(16)(18)	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत
7	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 24(3)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 7(क) (2, 3, 4)	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 15	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 10(3, 4)	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 11	अनिर्णीत
3	पैरा 12	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत
6	पैरा 15	अनिर्णीत
7	पैरा 16	अनिर्णीत
8	पैरा 18(i)(ii)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 13	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 5(ii)(iii)	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9(क, ख)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क)
2	पैरा 4	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	निर्णीत	(अभिलेख के सत्यापनोपरान्त निर्णीत)
4	पैरा 6	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
5	पैरा 7	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	अनिर्णीत	
8	पैरा 10	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	निर्णीत	(पुनः प्रारूपित)

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	53
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+) 20
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	(–) 7
अन्तशेष दिनांक (31.03.2014 तक)	66